

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/9966-10006

दिनांक 19/12/18

कोषाधिकारी  
समस्त।

विषय:- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि  
डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।


महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन से हितकारी निधि की डिडक्शन (जो माह दिसम्बर देय माह जनवरी के वेतन से की जानी है) जोड़ने को को-ऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में जोड़ने की सुविधा डीडीओं लॉगिन में उपलब्ध है, जिसका पाथ निम्नानुसार है :-

DDO Login - Deduction Master - Co-Operative deduction

अतः संबंधित डीडीओं अपने स्तर से उक्त डिडक्शन को जोड़े जाने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय

  
(अमिता शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/

दिनांक

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को सूचनार्थ  
प्रेषित है।

  
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/हिनि/2018-19

दिनांक:- १०-१२-१८

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। पत्र कि प्रति आपके अधिनस्थों को तुरन्त निर्देश सहित प्रेषांकित करावें।

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय)
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय)
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. समस्त विशिष्ट संस्थायें।
6. समस्त प्राचार्य डाईट
7. रोकड़ अनुभाग कार्यालय हाजा(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
8. संयुक्त निदेशक कम्प्युटर हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।



वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर